अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय, रीवा (म.प्र.)

क्रमांक/विकास/2023/309 रीवा दिनांक : 9-5-2023

प्रति,

अध्यक्ष/प्राचार्य
विधि महाविद्यालय
सतना (म.प्र.)

विषय – अस्थायी सम्बद्वता नवीनीकरण सत्र 2022–2023 विषयक।

विद्या परिषद की स्थाई समिति की बैठक दिनांक 15–02–2023 के आइटम क्रमांक 4(10) की अनुशंसा एवं माननीय कुलपति जी द्वारा अधिनियम की धारा 15(4) के अन्तर्गत किये गये अनुमोदन तथा परिनियम 27 के अनुसार, आपके महाविद्यालय को पूर्व में जारी पत्र क्रमांक/विकास/2023/164 दिनांक 13–4–2023 में आंशिक संशोधन करते हुए सत्र 2022–2023 कक्षा/विषयों में अस्थायी सम्बद्वता का नवीनीकरण किया जाता है –

क्र.	कक्षा/विषय
1	एलएल.बी. (त्रिवर्षीय पाठ्यक्रम) प्रथम, द्वितीय, तृतीय वर्ष–बी.सी.आई. द्वारा निर्धारित सीट संख्या मान्य।
2	एलएल.एम. पूर्वार्द्ध–30सीट।

नोट –

1. बी.सी.आई. की मान्यता सत्र 2022–23 की प्रस्तुत करें।
2. मूटकोर्ट को उन्नत करें।
3. पुस्तकालय एवं अध्यापन कक्षों की समुचित व्यवस्था करें।

उपर्युक्त शर्तों की पूर्ति कर पालन प्रतिवेदन 03 माह के अन्दर आवश्यक रूप से पूर्ण कर 100=00 रुपये के स्टाम्प पर शपथपत्र दिया जाय कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी सत्य है, अधोहस्ताक्षरकर्ता को भेजने का कष्ट करें अन्यथा आगामी सत्र 2023–2024 से छात्रों का प्रवेश बन्द करते हुए महाविद्यालय की सम्बद्धता समाप्त किये जाने की सूचना शासन को भेजी जावेगी।

आदेशानुसार
कुलसचिव

प्रतिलिपि सूचनार्थ –

1. परीक्षा नियंत्रक, अ.प्र. सिंह विश्वविद्यालय, रीवा।
2. सहायक कुलसचिव–परीक्षा, गोपनीय।
3. विभागाध्यक्ष, डिपार्टमेंट आफ कम्प्यूटर एप्लीकेशन, अ.प्र. सिंह विश्वविद्यालय, रीवा की ओर वेबसाइट में प्रदर्शन हेतु प्रेषित।
4. प्रभारी, एम.पी. आनलाइन, अ.प्र. सिंह विश्वविद्यालय, रीवा।
5. कुलपति जी के सचिव/कुलसचिव के निज सहायक।

सहायक कुलसचिव (विकास)